प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला – भ्र.नि.ब्यूरो (एस.यू.) जोधपुर थाना – प्र. आ. केन्द्र भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर

   प्र. ई. रि. स. – 361/2022 दिनांक – 13/9/2022

2. (अ) अधिनियम – भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धाराये – 7, 7ए

   (ब) अधिनियम – .... धाराये – ....

   (स) अधिनियम – .... धाराये – ....

   (द) अन्य अधिनियम – धाराये – 120 बी आईपीसी

3. अ. रोजनामचा आम रपट संख्या – 234 समय – 3:30 P.M.

   ब. अपराध के घटने का दिन – शुक्रवार, दिनांक – 12.09.2022 समय – 01.20 पी.एम.

   स. कार्यालय पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 06.09.2022 समय – 12:05 पी.एम.

4. सूचना की किस्म – लिखित/मौखिक – लिखित।

5. घटना स्थल –

   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बरूख पश्चिम 12 किलोमीटर लगभग

   (ब) पताः– रोयल्टी चौराहा/नाका बालसमन्द जोधपुर।

   बीट संख्या जरायमदेही संख्या

   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं तो

   पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी का नाम

   1. (अ) नाम – विक्रमसिंह भाटी (ब) पिता/पति का नाम – श्री उमरावसिंह भाटी

   (स) जन्म तिथि/वर्ष –35 वर्ष (द) राष्ट्रीयता – भारतीय

   (य) व्यवसाय – वकालात (र) पता – डी–10 राजविलास अपार्टमेन्ट प्रथम मीरा मार्ग, बनीपार्क जयपुर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियो सहित–

1. श्री हरीराम बिश्नोई पुत्र श्री राजूराम बिश्नोई जाति बिश्नोई उम्र 56 निवासी हिरणी ढाणीया पोस्ट खिरवा तहसील डेगाना जिला नागौर हाल वनपाल हाल वनखण्ड रेन्ज मण्डोर जिला जोधपुर।

2. आरोपी दलाल श्री शिवदान पुत्र श्री केशुदान जाति चारण उम्र 27 साल निवासी रावटी रोड सूरसागर जिला जोधपुर ।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कुछ नही

9. चुराई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां – शुन्य

10. चुराई हुई लिप्त सम्पतियां का कुल मुल्य :– **रिश्वत राशि 50,000/– रू.**

11. पंचनामा/यूडी केस संख्या (अगर कोई हो तो)............. कोई नहीं...........

12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट...

सेवा में,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों
(स्पेशल यूनिट) जोधपुर

विषयः– मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करनें बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं विक्रमसिंह भाटी पुत्र श्री उमरावसिंह भाटी, जाति राजपूत निवासी डी–10 राजविलास अपार्टमेन्ट प्रथम मीरा मार्ग, बनीपार्क जयपुर की और से निवेदन है कि मेरा एक खरीद शुद्वा प्लोट नं. 16 खरबूजा बावडी, घोडाघाटी रावटी जोधपुर में आया हुआ हैं। इस प्लॉट पर मेरे द्वारा एक कमरे का निर्माण करवाया गया था, जिसको वन विभाग के रेंजर श्री हरीराम विश्नोई द्वारा गिरवा दिया गया तो मैंने रेंजर श्री हरीराम विश्नोई वन विभाग जोधपुर से सम्पर्क किया तो हरीराम रेंजर ने बताया कि प्लॉट पर निर्माण कार्य करवाने के लिये आपको खर्चा करना होगा, तो मैने उनके दबाव में आकर एक शराब की बोतल व 3000/– रूपये खर्चा पानी के देने पडे। उसके बाद श्री हरीराम विश्नोई रेंजर ने मेरे प्लॉट पर जाकर पडोसी भगवानाराम व इस ईलाके में कार्य करनें वालें ठेकेदार श्री शिवदान जी चारण से बोला कि विक्रमसिंह को समझा देना, कि खर्चा पानी का मतलब 50,000 रूपये हैं, अगर इस प्लाट पर निर्माण कार्य करवाना हैं, तो 50,000 रूपये देंने होगे। जिस पर मैं वापस रेंजर श्री हरीराम विश्नोई से मिला उसने मुझे कहा इतना बडा प्लॉट है, इसकी किमत के अनुसार 50,000 रूपये तो देने पडेंगे व कहा कि मेरे आदमी श्री शिवदान जी चारण से जाकर मिल लो एवं उनकों मेरे हिस्से के 50,000 रूपयें दे दो। फिर आपकों वन विभाग की तरफ से कोई दिक्कत नही आनें दूंगा एवं आप फिर अपना निर्माण कार्य भी चालू करवा सकतें हों। श्री हरीराम विश्नोई रेंजर, वन विभाग जोधपुर मेरे खरीद शुद्वा प्लॉट पर जायज निर्माण करवाने की वन विभाग से अनुमति के नाम पर 50,000 रूपये की रिश्वत राशि मांग अपनें दलाल श्री शिवदान जी चारण के मार्फत मांग रहे है, जो रिश्वत राशि मै देना नही चाहता बल्कि रिश्वत लेते हुए हरिराम बिश्नोई रेन्जर वन विभाग जोधपुर एवं उनके दलाल श्री शिवदान जी चारण को रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूॅ। मेरी श्री हरीराम रेंजर, वन विभाग जोधपुर एवं उनके दलाल श्री शिवदान जी चारण सें कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नही हैं, ना ही कोई व्यक्तिगत लेन देन बकाया है।

अतः मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करावें मै प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड की फोटो प्रति संलग्न है।

दिनांकः– 06.09.2022

भवदीय,

एसडी/
विक्रमसिंह भाटी पुत्र श्री उमरावसिंह भाटी,
जाति राजपूत निवासी डी–10 राजविलास
अपार्टमेन्ट प्रथम मीरा मार्ग, बनीपार्क
जयपुर,
मोबाईल नम्बर 9929931158

कार्यवाही पुलिस, दिनांक 06.09.2022 समय 12.05 पी.एम.

इस समय परिवादी श्री विक्रमसिंह भाटी पुत्र श्री उमरावसिंह कार्यालय हाजा उपस्थित होकर उक्त टाईप शुदा रिपोर्ट पेश की। उक्त रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का पाया जानें से अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

एसडी (श्री विक्रमसिंह भाटी) 06/09/2022	एसडी (मुरारीलाल) 10/09/2022	एसडी (राजेश कुमार मीणा) 10/09/2022	एसडी (डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित) अति. पुलिस अधीक्षक 06/09/2022

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 06.09.2022 समय 12.05 पी.एम.

इस समय परिवादी श्री विक्रमसिंह भाटी पुत्र श्री उमरावसिंह भाटी, जाति राजपूत उम्र 35 निवासी डी–10 राजविलास अपार्टमेन्ट प्रथम, मीरा मार्ग, बनीपार्क जयपुर ने कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट जोधपुर में उपस्थित होकर एक टाईपशुदा लिखित रिपोर्ट मन् डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल युनिट, जोधपुर के समक्ष इस आशय की पेश की कि ''मैं विक्रमसिंह भाटी पुत्र श्री उमरावसिंह भाटी, जाति राजपूत निवासी डी–10 राजविलास अपार्टमेन्ट प्रथम मीरा मार्ग, बनीपार्क जयपुर की और से निवेदन है कि मेरा एक खरीद शुद्वा प्लोट नं. 16 खरबूजा बावडी, घोडाघाटी रावटी जोधपुर में आया हुआ हैं। इस प्लॉट पर मेरे द्वारा एक कमरे का निर्माण करवाया गया था, जिसको वन विभाग के रेंजर श्री हरीराम विश्नोई द्वारा गिरवा दिया गया तो मैंने रेंजर श्री हरीराम विश्नोई वन विभाग जोधपुर से सम्पर्क किया तो हरीराम रेंजर ने बताया कि प्लॉट पर निर्माण कार्य करवाने के लिये आपको खर्चा करना होगा, तो मैने उनके दबाव में आकर एक शराब की बोतल व 3000/– रूपये खर्चा पानी के देने पडे। उसके बाद श्री हरीराम विश्नोई रेंजर ने मेरे प्लॉट पर जाकर पडोसी भगवानाराम व इस ईलाके में कार्य करनें वालें ठेकेदार श्री शिवदान जी चारण से बोला कि विक्रमसिंह को समझा देना, कि खर्चा पानी का मतलब 50,000 रूपये हैं, अगर इस प्लाट पर निर्माण कार्य करवाना हैं, तो 50,000 रूपये दैंने होगे। जिस पर मैं वापस रेंजर श्री हरीराम विश्नोई से मिला उसने मुझे कहा इतना बडा प्लॉट है, इसकी किमत के अनुसार 50,000 रूपये तो देने पडेंगे व कहा कि मेरे आदमी श्री शिवदान जी चारण से जाकर मिल लो एवं उनकों मेरे हिस्से के 50,000 रूपयें दे दो। फिर आपकों वन विभाग की तरफ से कोई दिक्कत नही आनें दूंगा एवं आप फिर अपना निर्माण कार्य भी चालू करवा सकतें हों। श्री हरीराम विश्नोई रेंजर, वन विभाग जोधपुर मेरे खरीद शुद्वा प्लॉट पर जायज निर्माण करवाने की वन विभाग से अनुमति के नाम पर 50,000 रूपये की रिश्वत राशि मांग अपनें दलाल श्री शिवदान जी चारण के मार्फत मांग रहे है, जो रिश्वत राशि मै देना नही चाहता बल्कि रिश्वत लेते हुए हरिराम बिश्नोई रेन्जर वन विभाग जोधपुर एवं उनके दलाल श्री शिवदान जी चारण को रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। मेरी श्री हरीराम रेंजर, वन विभाग जोधपुर एवं उनके दलाल श्री शिवदान जी चारण सें कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नही हैं, ना ही कोई व्यक्तिगत लेन देन बकाया है। अतः मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करावें मै प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड की फोटो प्रति संलग्न है।'' परिवादी श्री विकमसिंह भाटी की टाईपशुदा लिखित रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का पाया जाने पर नियमानुसार गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से श्री भूरसिंह कानि. नं. 23 से कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर मालखाने से मंगवाकर परिवादी श्री विक्रमसिंह भाटी को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की विधि से समझाईश की गई।

वक्त 01.30 पी.एम. पर कार्यालय के श्री भूरसिंह कानि. नं. 23 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में तलब कर श्री भूरसिंह कानि. नं. 23 व परिवादी श्री विक्रमसिंह भाटी का आपसी परिचय करवाया गया। कानि. श्री भूरसिंह नं. 23 व परिवादी श्री विक्रमसिंह भाटी के मोबाईल नम्बर आपस में आदान–प्रदान करवाये गये। तथा परिवादी श्री विक्रमसिंह भाटी को हिदायत दी गई की आरोपी श्री हरिराम बिश्नोई रेन्जर वन विभाग जोधपुर से सम्पर्क होने पर कार्यालय हाजा में उपस्थित आवे या श्री भूरसिंह कानि. नम्बर 23 से सम्पर्क करनें की हिदायत कर कार्यालय से रूखस्त किया गया।

दिनांक 08.09.2022 वक्त 12.05 पी.एम. पर श्री भूरसिंह कानि. नं. 23 नें मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होकर बताया कि परिवादी श्री विक्रम सिंह भाटी नें मुझसे सम्पर्क कर बताया कि आज अभी श्री हरिराम बिश्नोई रेन्जर अपनें रावटी क्षेत्र स्थित वन विभाग चौकी पर मिल जायेगा। जिससें मेरी रिश्वत के सम्बन्ध में मांग सत्यापन वार्ता हो सकती है। जिस पर आप मण्डोर रोड आ जाये। मै आपकों वहां पर उपस्थित मिल जाउगा। जिस पर श्री भूरसिह कानि. को कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर सुपर्द कर हिदायत के साथ मण्डोर रोड की तरफ रवाना किया गया कि आप परिवादी से सम्पर्क कर व परिवादी व आरोपी श्री हरिराम बिश्नोई सें मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड कर लावें।

वक्त 01.30 पी.एम. पर श्री भूरसिंह कानि. नं. 23 कार्यालय हाजा में उपस्थित आये तथा श्री भूरसिंह कानि. नं. 23 ने मन् अति. पुलिस अधीक्षक को कार्यालय का स्वीच ऑफ शुंदा डिजीटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द किया तथा श्री भूरसिह कानि. नें मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कों बताया कि मैं कार्यालय से रवाना होकर

मण्डोर पहुंचा। जहां पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री विकमसिंह भाटी अपनी निजी कार के उपस्थित मिला। जिस पर हम दोनों परिवादी की निजी कार सें रावटी वन विभाग चौकी के पास पहुंचे। जहां पर परिवादी सें आरोपी श्री हरिराम बिश्नोई रेन्जर का अपनें कार्यालय में उपस्थित होनें बाबत गोपनीय रूप सें पता करवाया तों आरोपी का अपनें कार्यालय में नही होना पाया। जिस पर परिवादी के मोबाईल नम्बर 9929931158 सें आरोपी श्री हरिराम बिश्नोई के मोबाईल नम्बर 9413846820 पर कॉल करवाकर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर वार्ता डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड मन् कानि. द्वारा की गई। उक्त वार्ता में आरोपी श्री हरिराम बिश्नोई रेन्जर नें परिवादी विकमसिंह कों उनके कार्य के सम्बन्ध में श्री शिवदान से वार्ता करनें हेतु कहा गया। इसके बाद परिवादी कों मण्डोर रोड पर छोड कर कार्यालय उपस्थित आया एवं परिवादी को हिदायत दी गई कि कार्यवाही की गोपनीयता रखतें हुए आरोपी श्री शिवदान से सम्पर्क होनें पर पुनः मन् कानि. से सम्पर्क करे। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर कों ऑन कर वार्ता कों सुना गया तों श्री भूरसिह कानि. द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हुई एवं आरोपी श्री हरिराम बिश्नोई द्वारा परिवादी को उनके ठेकेदार प्राईवेट व्यक्ति शिवदान से मिलनें व उसके कहे अनुसार करनें का कहा गया। कार्यालय का डिजीटल वॉयस मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें अपनें पास सुरक्षित रखा। उक्त वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार की जावेगी।

दिनांक 09.09.2022 वक्त 04.10 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर 9460453110 पर परिवादी श्री विकमसिंह के मोबाईल नम्बर 9929931158 से कॉल आया और बताया कि अभी आरोपी श्री हरिराम बिश्नोई रेन्जर वन विभाग के दलाल श्री शिवदान नें मुझे बुलाया है इसलियें हमारें मध्य मांग सत्यापन वार्ता हो सकती है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें परिवादी को बताया कि श्री भूरसिह कानि. को डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर देकर आपके पास भेज रहा हू। आप आरोपी से मांग सत्यापन वार्ता कर लेना। इसके बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें श्री भूरसिंह कानि. को कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर देंकर परिवादी श्री विकम सिंह भाटी से सम्पर्क करनें हेतु कार्यालय से मण्डोर रोड जोधपुर के लिए रवाना किया गया।

वक्त 05.45 पी.एम. पर श्री भूरसिंह कानि. नं. 23 कार्यालय हाजा में उपस्थित आया तथा श्री भूरसिंह कानि. नं. 23 ने मन् अति. पुलिस अधीक्षक को कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर बताया कि मै श्रीमान के निर्देशानुसार परिवादी के पास मण्डोर रोड पर पहुंचा। जहां पर परिवादी श्री विकम सिंह भाटी मुझे वहां उपस्थित मिला। मेरे द्वारा परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर आरोपी श्री शिवदान दलाल प्राईवेट व्यकित से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड कर लानें हेतु बालसमन्द चौराहा की तरफ रवाना किया गया एवं मै बालसमन्द चौराहा के आसपास ही गोपनीय रूप सें मुकीम रहा। कुछ देर बाद परिवादी श्री विकम सिंह भाटी मेरे पास उपस्थित आया। मुझे डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर सुपर्द किया जिसकों मैनें स्वीच ऑफ कर अपनें पास सुरक्षित रखा। परिवादी नें मुझे बताया कि मेरे व श्री शिवदान दलाल प्राईवेट व्यक्ति के बीच मांग सत्यापन रूबरू वार्ता हो गई है एवं वार्ता के दौरान ही दलाल शिवदान नें अपनें मोबाईल सें आरोपी श्री हरिराम बिश्नोई रेन्जर वन विभाग जोधपुर सें मेरी वार्ता भी करवाई है। आरोपीगण द्वारा मेरे भूखण्ड पर निर्माण कार्य करनें की स्वीकृति देनें की एवज में मेरे से 50,000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग की गई है। जिस पर मन् कानि.नें परिवादी को श्रीमान के निर्देशानुसार 50,000 रूपयें रिश्वत राशि की व्यवस्था कर दिनांक 10.09.2022 को समय 9 ए.एम. पर कार्यालय उपस्थित होंने की हिदायत देकर परिवादी को वहीं से रूखसत कर कार्यालय उपस्थित आया। जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को ऑन कर उक्त मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो परिवादी श्री विक्रमसिंह भाटी एवं श्री शिवदान दलाल प्राईवेट व्यक्ति के मध्य रिश्वत राशि 50,000/–रूपये मांगने की ताईद हुई एवं श्री शिवदान दलाल द्वारा अपनें मोबाईल सें आरोपी श्री हरिराम बिश्नोई सें करवाई गई टेलीफोनिक वार्ता सें भी पाया गया कि हरिराम बिश्नोई रेन्जर वन विभाग द्वारा परिवादी कों उनके दलाल श्री शिवदान के कहे अनुसार करनें की वार्तालाप होना पाया गया। उक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आईन्दा बनाने का निर्णय लिया गया। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखा। जिस पर दिनांक 10.09.2022 को ट्रेप कार्यवाही करनें का निर्णय लिया गया।

वक्त 06.05 पी.एम. पर दिनांक 10.09.2022 को ब्यूरो की गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने पर कार्यालय सहायक अभियन्ता ए–3, जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर को इस कार्यालय के पत्रांक 1607 दिनांक 09.09.2022 के द्वारा दो स्वतंत्र गवाहान दिनांक 10.09.2022 को 8.00 ए.एम पर उपलब्ध

करवाने हेतु एक तहरीर मुर्तिब कर सहायक अभियन्ता श्री ए.के. सिंह के मोबाईल नम्बर 9414918682 पर जरिये दूरभाष दो स्वतन्त्र गवाह भिजवानें हेतु निर्देशित किया गया। रात्रि का वक्त हो जाने से तहरीर आईन्दा भिजवाई जायेगी।

वक्त 06.45 पी.एम. पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक के पास ब्यूरो शहर चौकी का अतिरिक्त चार्ज होने से एवम कल दिनांक 10.09.2022 को श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर द्वारा आयोजित वीडियो कान्फ्रेसिंग में सम्मिलित होना है जिस पर सम्पूर्ण हालात उच्चाधिकारीयो को निवेदन कर उक्त कार्यवाही में ट्रेप टीम को लीड करने हेतु ब्यूरो की शहर चौकी से श्री मनीष वैष्णव पुलिस निरीक्षक, श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46 व श्री प्रेमसिंह कानि. चालक को कल दिनांक 10.09.2022 को समय 9.00 ए.एम. पर इस कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत जरिये टेलिफोन दी गई तथा समस्त कार्यालय स्टाफ को कल दिनांक 10.09.2022 को समय 8.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित रहने की हिदायत दी गई।

दिनांक 10.09.2022 वक्त 08.45 ए.एम. पर से पाबन्दशुदा परिवादी श्री विक्रमसिंह भाटी उपस्थित कार्यालय आया। जिसको मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने रिश्वत राशि के सम्बन्ध में पूछा तो परिवादी श्री विक्रमसिंह भाटी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं रिश्वत में दी जाने रिश्वत राशि 50000/–रूपये अपने साथ लेकर आया हूँ। साथ ही पूर्व से पाबन्द शुदा श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस जोधपुर व श्री छैलाराम कानि. नं. 46 मय श्री प्रेमसिंह कानि. चालक के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशनुसार गोपनीय कार्यवाही हेतु इस कार्यालय में उपस्थित आये तथा पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतन्त्र गवाह कार्यालय सहायक अभियन्ता ए–3, जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर से कार्यालय हाजा में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आये। जिनको मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर उनका परिचय पुछने पर उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान ने बारी–बारी से अपना परिचय श्री मुरारीलाल पुत्र श्री गंगाराम जाति प्रजापत उम्र 31 वर्ष निवासी गांव अलीपुर तहसील डीग जिला भरतपुर हाल तकनीकी सहायक कार्यालय सहायक अभियता ए–3 जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर मोबाईल–9610052752 तथा श्री राकेश कुमार मीणा पुत्र श्री भगवान सहाय मीणा जाति मीणा उम्र 39 साल निवासी माधव नगर, मोडा बालाजी रोड वार्ड नम्बर 02 दौसा हाल तकनीकी सहायक कार्यालय सहायक अभियता ए–3 जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर, मोबाईल नम्बर 9929345950 होना बताया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस का परिचय कार्यालय में उपस्थित दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री मुरारीलाल व श्री राकेश कुमार मीणा एवं परिवादी श्री विक्रमसिंह भाटी से करवाया गया तथा परिवादी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय डिजीटल वॉयस रिकार्डर जिसमें परिवादी विक्रमसिंह भाटी व आरोपी श्री हरिराम बिश्नोई रेन्जर मय आरोपी दलाल श्री शिवदान के मध्य रिश्वती राशि मांग सत्यापन मोबाईल पर हुई वार्ता एवं रूबरू मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है, को श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अन्य राजकार्य में व्यस्त हुआ।

वक्त 09.00 ए.एम. पर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री विक्रम सिंह भाटी मय स्वतन्त्र गवाहान, मय परिवादी के प्रार्थना मय डिजीटल वॉयस रिकार्डर के निरीक्षक पुलिस कार्यालय कक्ष में आकर परिवादी के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा परिवादी से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में पूछताद की गई तथा परिवादी को रिश्वत में दी जानें वाली राशि के बारे में पूछा तो परिवादी ने बताया कि रिश्वत में दी जाने वाली राशि 50000/–रूपये मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। उसके पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता के मुख्य–मुख्य अंश को सुना गया तो परिवादी श्री विक्रमसिंह भाटी से दलाल शिवदान द्वारा रेन्जर हरिराम के लिए 50,000 रूपयें रिश्वत मांगना तथा दलाल शिवदान द्वारा अपनें मोबाईल सें रेन्जर हरिराम बिश्नोई व परिवादी विक्रम सिह की मोबाईल पर वार्ता करवाना एवं मोबाईल वार्ता पर हरिराम रेन्जर द्वारा परिवादी विक्रमसिंह सें कहना कि शिवदान बोल रहा है वह सही है, की ताईद हुई। जिस पर परिवादी श्री विक्रमसिंह भाटी द्वारा पूर्व में पेश टाईपशुदा लिखित रिपोर्ट दोनो स्वतन्त्र गवाहान को पढकर सुनवाई गई तथा पढाई गई। जिस पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान द्वारा ट्रेप कार्यवाही में गवाह रहने की मौखिक सहमति प्रदान की गई एवं परिवादी की टाईपशुदा रिपोर्ट पर व संलग्न दस्तावेजात की फोटो प्रतिया पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान नें अपने अपने हस्ताक्षर किये। कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें परिवादी श्री विक्रमसिंह भाटी व आरोपी श्री हरिराम बिश्नोई रेन्जर वन विभाग जोधपुर तथा आरोपी दलाल शिवदान के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन की वार्ता रिकार्ड है, डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को ऑन कर

रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता, की रिकॉर्डिंग के मुख्य–मुख्य मांग अंश को दोनों स्वतन्त्र गवाहान कों सुनाया गया। कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से अपने पास मे रखा। उक्त वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जावेगी।

समय 10.00 ए.एम. पर दोनों गवाहान के रू–ब–रू परिवादी श्री विक्रमसिंह भाटी पुत्र श्री उमरावसिंह जाति राजपूत उम्र 35 साल निवासी डी–10 राजविलास अपार्टमेन्ट प्रथम मीरा मार्ग, बनीपार्क जयपुर द्वारा रिश्वत मे दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया, जिस पर परिवादी श्री विक्रमसिंह भाटी ने भारतीय मुद्रा के दो–दो हजार रूपये के 23 नोट तथा पाँच– पाँच सौ रूपये के 08 नोट कुल राशि 50,000/– रूपये पेश किये। परिवादी श्री विक्रमसिंह भाटी द्वारा प्रस्तुत नोटों के नंबर फर्द पेशकशी में अंकित कर श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई गई। जिस पर श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 ने मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी लेकर आई तथा उक्त 50,000/– रूपये के नोटों पर श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से अखबार के उपर रखकर नोटों पर हल्का–हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री विक्रमसिंह भाटी की जामा तलाशी गवाह श्री राकेश कुमार से लिवाई जाकर मोबाईल फोन नम्बर 9929931158 परिवादी के पास रहने दिया गया। इसके अलावा कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 50,000/– रूपये जो श्री शिवदानसिंह चारण को दी जानी है, की राशि के नोटों को परिवादी विक्रमसिंह भाटी के पहने हुए कमीज के सामनें की बांयी जेब में श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री विक्रमसिंह भाटी को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को रास्ते में नहीं छुऐ एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि निकाल कर देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। ट्रेप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेर या मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर के मोबाईल नं. 9530292476 पर रिश्वती राशि आदान–प्रदान होने की सूचना करें। तत्पश्चात् एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान तथा परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्रीमती सुशीला के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया–प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर पाउडर लगाने वाली श्रीमती सुशीला से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया जाकर जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार को भी जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को पाउडर लगाने वाली श्रीमति सुशीला से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करे। फर्द पेशकशी पर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई।

समय 10.35 ए.एम. पर परिवादी श्री विक्रमसिंह भाटी को छोड़कर समस्त ब्यूरो टीम व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के साबुन से साफ हाथ धुलवाये गये व ब्यूरो स्टाफ की आपसी जामा तलाशी लिरवाई जाकर अपने–अपने विभागीय परिचय–पत्र एवं अपने–अपने मोबाईल फोन पास में रहने दिये गये। कोई भी आपत्तिजनक वस्तु, राशि एवं दस्तावेजात किसी के पास नहीं रहने दिये गये मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा खर्चे के 1,000 रूपये अपने पास रखे।

समय 10.40 ए.एम. पर परिवादी श्री विकम सिंह नें गोपनीय रूप सें जानकारी कर बताया कि अभी आरोपी दलाल श्री शिवदान की उपस्थिति के बारें में मालूम किया तों जोधपुर से बाहर होना बताया गया। जिस पर आज ट्रेप कार्यवाही आज होना संभव नही होनें पर गवाह श्री राकेश कुमार मीणा से परिवादी के पहने हुए कमीज की सामनें की बांयी जेब सें रिश्वति राशि 50,000/ रूपये निकलवाकर एक सफेद लिफाफें में डलवाकर मन् निरीक्षक पुलिस ने रिश्वति राशि 50,000/ रूपये के सफेद लिफाफें परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली व डिजिटल वॉयस टेप रिकॉर्डर को सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में जाकर चाबी अपनें पास रखी गई। दोनों स्वतन्त्र गवाह को कार्यवाही की गोपनीयता रखनें की हिदायत देकर बुलाने पर कार्यालय हाजा में उपस्थित आने की हिदायत देकर **रूखस्त** किया गया तथा परिवादी श्री विक्रमसिंह भाटी को

आरोपीगण से सम्पर्क होने पर कार्यालय हाजा में उपस्थित आने की हिदायत देकर उसकी निजी कार से रूखस्त किया गया।

दिनांक 12.09.2022 समय 11.20 ए.एम पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री विक्रमसिंह भाटी उपस्थित कार्यालय आया व मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस को बताया की आरोपी दलाल श्री शिवदान ने मुझे आज रिश्वती राशि लेकर बालसमन्द चौरायें पर आने के लिए कहा है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान को तुरन्त कार्यालय हाजा उपस्थित होनें की हिदायत दी गई। साथ ही परिवादी नें बताया कि आरोपी दलाल शिवदान मेरे से रिश्वत राशि मेरी निजी कार में ही लेगा। जिस पर रिश्वत राशि लेन देन होनें के पश्चात् गोपनीय ईशारा परिवादी की निजी कार के इण्डीकेटर चालू करना रखा गया।

समय 11.40 ए.एम पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतन्त्र गवाह श्री मुरारीलाल व श्री राकेश कुमार मीणा उपस्थित कार्यालय आये।

समय 12.15 ए.एम पर गवाह श्री राकेश कुमार मीणा सें रिश्वति राशि 50,000 रूपयें का लिफाफा अलमारी से निकलवाकर परिवादी विक्रम सिंह भाटी के पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में डलवाये गये। इसके बाद मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस, श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63, श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501, श्री भूरसिंह कानि. नम्बर 23 मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री मुरारीलाल व श्री राकेश कुमार मीणा सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 8795 मय चालक श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 के ब्यूरों के ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर, परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली, परिवादी श्री विक्रम सिह भाटी मय निजी वाहन, श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46 मय अपनी निजी मोटर साईकिल मय कानि. श्री गणेश बेल्ट नम्बर 219 के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों स्पेशल यूनिट से बालसमन्द चौराहा जोधपुर के लिए रवाना हुए।

समय 01.40 पी.एम पर हालात इस प्रकार से है कि वक्त 12.15 पी.एम. पर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस, श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63, श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501, श्री भूरसिंह कानि. नम्बर 23 मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री मुरारीलाल व श्री राकेश कुमार मीणा सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 8795 मय चालक श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 के ब्यूरों के ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर, परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली, परिवादी श्री विक्रम सिह भाटी मय निजी वाहन, श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46 मय अपनी निजी मोटर साईकिल मय कानि. श्री गणेश बेल्ट नम्बर 219 के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों स्पेशल यूनिट से रवाना होकर वक्त 12.28 पी.एम. पर बालसमन्द रोड पर बी.एस.एफ. ट्रेनिग सेन्टर के गेट के पास पहुंचकर सरकारी वाहन को गोपनीय रूप से खडा करवाया गया। मन् निरीक्षक पुलिस नें श्री भूरसिह कानि. सें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन करवाकर समय 12.29 पी.एम. पर परिवादी श्री विक्रम सिह के मोबाईल नम्बर 9929931158 से आरोपी श्री शिवदान के मोबाईल नम्बर 8114469775 पर कॉल करवाकर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर वार्ता को रिकॉर्ड करवाई गई। जिस पर आरोपी श्री शिवदान चारण नें कहा कि मै आ रहा हूं। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस नें श्री भूरसिह कानि. नम्बर 23 से डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर ऑन करवाकर परिवादी को रिश्वति राशि लेन देन के लिए रवाना किया और मन् निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरों स्टाफ के व निजी मोटर साईकिल श्री छेलाराम व श्री गणेश कानि. के गोपनीय रूप सें रिश्वति राशि लेन देन के इन्तजार में बी.एस.एफ. ट्रेनिग सेन्टर के आसपास अपनी उपस्थिति छिपातें हुए मुकीम रहे।

समय 1.04 पी.एम. पर परिवादी श्री विक्रम सिंह नें मन् निरीक्षक पुलिस को मेरे मोबाईल पर कॉल कर बताया कि आरोपी नें बालसमन्द चौराहे पर आगे राईट की तरफ आनें को कहा। इसके बाद परिवादी के निजी वाहन के पीछे पीछे मन् निरीक्षक पुलिस मय श्री भूरसिह कानि. के पैदल व श्री छैलाराम कानि. व श्री गणेश कानि. को उनकी निजी मोटर साईकिल से परिवादी के निजी वाहन की निगरानी हेतु रवाना किया गया। इसके बाद मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा जरिये मोबाईल श्री मेघराज हैड कानि. को निर्देशित किया गया कि आप सरकारी वाहन मय ब्यूरों स्टाफ के मौके पर आ जाना। समय 01.14 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय कानि. श्री भूरसिंह के रॉयल्टी चौराहा पर पहुंच कर आरोपी के आनें के इन्तजार में मुकीम रहे। कुछ समय पश्चात् एक व्यक्ति पैदल ही सिर पर टोपी पहनें हुए परिवादी के कार में जाकर बैठ गया। समय 1.20 पी.एम. पर परिवादी श्री विक्रम सिंह के अपनी निजी वाहन के इण्डीकैटर को ऑन करनें का पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा किया गया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय कानि. श्री भूरसिह, श्री छैलाराम कानि. श्री गणेश कानि. के परिवादी के निजी कार के पास पहुंचकर परिवादी श्री विक्रम सिंह से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर श्री भूरसिह कानि. से स्वीच ऑफ करवाकर अपनें कब्जे में सुरक्षित रखा। व सरकारी वाहन में बैठे ब्यूरों जाब्ता कों मौके पर आनें के लिए श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 को **समय** 1.21 पी.एम. पर कॉल करके बुलाया

गया। स्वतन्त्र गवाह की उपस्थिति में परिवादी के पास निजी वाहन में आगे की सीट पर बैठे व्यक्ति की तरफ परिवादी श्री विक्रम सिंह नें ईशारा कर बताया कि यही श्री शिवदान चारण है जिसनें मेरे से अभी अभी 50,000 रूपयें प्राप्त कर गिन कर अपनें पास दाहिनें हाथ में रखें हुए है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी शिवदान चारण से अपना व हमराहीयान का परिचय देकर आनें का मन्तव्य सें अवगत करवाया जाकर उसका परिचय पूछनें पर अपना नाम श्री शिवदान पुत्र श्री केशुदान जाति चारण उम्र 27 साल निवासी रावटी रोड सूरसागर जिला जोधपुर होना बताया तथा आरोपी श्री शिवदान चारण सें इस बाबत पूछनें पर बताया कि मैनें श्री हरिराम सहायक वनपाल वन विभाग जोधपुर के लिए 50,000 रूपयें रिश्वत राशि के प्राप्त किये है, साहब मेरे से गलती हो गई है। जिस पर श्री शिवदान कों श्री हरिराम बिश्नोई के मोबाईल पर रिश्वत राशि प्राप्त करनें के सम्बन्ध में कॉल करनें हेतु कहा तों कहा कि मै फोन नही करूगा लेकिन मैनें रिश्वत राशि श्री हरिराम सहायक वनपाल वन विभाग जोधपुर के लिए ही ली है।

मौके पर भीडभाड होनें व कार्यवाही के लिए उचित व्यवस्था हेतु आरोपी को परिवादी के निजी वाहन में ही बिठा कर दाहिने हाथ में रिश्वत राशि के साथ उसी अवस्था में दोनों हाथ ब्यूरों जाब्ता से पकडवाकर उसी अवस्था में पास में ही स्थित मण्डोर पुलिस चौकी के लिए मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान सरकारी वाहन व निजी मोटर साईकिल सें रवाना हुए।

समय 1.32 पी.एम. पर मन् निरीक्षक मय हमराहीयान के पुलिस चौकी मण्डोंर पहुचा। जहां पर पुलिस चौकी मण्डोर में श्री दिलीप कानि. नम्बर 2800 ड्यूटी पर उपस्थित मिला। जिससें मन् निरीक्षक पुलिस नें ब्यूरों की कार्यवाही हेतु स्थान उपलब्ध करवानें हेतु बताया तों उन्होनें बताया कि चौकी पर श्री सवाई सिंह सहायक उप निरीक्षक चौकी पर प्रभारी के रूप में कार्यरत थे। जिनका पदस्थापन करवड थानें पर हो गया है। आप अपनी कार्यवाही चौकी पर कर सकतें है। इसके बाद मन् निरीक्षक पुलिस नें पुलिस चौकी के कार्यालय कक्ष में ब्यूरों की कार्यवाही हेतु प्रवेश हुए।

तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी विक्रम सिंह वं ब्यूरों जाब्ता के रूबरू सरकारी वाहन में से ट्रेप बाक्स मंगवाकर आरोपी श्री शिवदान पुत्र श्री केशुदान जाति चारण उम्र 27 साल निवासी रावटी रोड सूरसागर जिला जोधपुर के हाथ धोवन की कार्यवाही आरम्भ की गई। ट्रेप बॉक्स में से दो कॉच के साफ गिलास निकाल कर उक्त कॉच की गिलासो में पुलिस चौकी के कैम्पर से साफ पीने का पानी की बोतल मंगवायी जाकर उक्त कांच की दो गिलासो को आधा–आधा भरवाया गया। उक्त दोनो गिलासो में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो दोनो गिलासो के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिससे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। एक गिलास के तैयार घोल में आरोपी शिवदान के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिससे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् दूसरे कॉच के गिलास में तैयार घोल में आरोपी श्री शिवदान के बायें हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबो कर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल के रंग को गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित किया गया।

तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वतन्त्र गवाह श्री राकेश कुमार मीणा से आरोपी श्री शिवदान के दाहिनें हाथ मे रखें नोटों को प्राप्त करनें हेतु निर्देशित कर गवाह श्री मुरारीलाल सें पूर्व में तैयार फर्द पेशकसी कों सुपर्द कर उक्त राशि का बोल बोल कर गवाह श्री राकेश मीणा सें मिलान करवाया गया तों फर्द पेशकसी के अनुसार उक्त राशि फर्द के मुताबिक 2000–2000 रूपयें के 23 नोट, 500–500 रूपये के 08 नोट कुल 50,000/– रूपये होना पाई गई, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैं :–

1.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	4AC 962628
2.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	4 KL 646699
3.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	4AM 789813
4.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	7KC 012655
5.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	1FL 930574
6.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	1ED 830015
7.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	8KN 259863
8.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	4CG 169532
9.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	7BM 730963

10.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	2DM 229203
11.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	5CN 047761
12.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	1FA 228477
13.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	4DL 588277
14.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	1KV 341397
15.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	9HM 147639
16.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	7CH 813102
17.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	6CT 976188
18.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	8EA 900336
19.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	0EW 553355
20.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	7BE 260444
21.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	2EL 048522
22.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	7MB 401017
23.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	9CQ 087154
24.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1BE 851378
25.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3SF 489753
26.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3HR 828169
27.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8RG 864117
28.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6RG 417368
29.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3FL 097150
30.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1TP 684404
31.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1VK 032162

उक्त भारतीय मुद्रा 50,000/—को बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। आरोपी श्री शिवदान की जामा तलाशी गवाह श्री मुरारीलाल से लिरवाई गई तों आरोपी शिवदान के पास उनका एक मोबाईल पेन्ट की दाहिनी जेब में उनके पास मिला। उक्त वीवों कम्पनी का मोबाईल जिसके आईएमईआई नम्बर 1. 869141054468972 2. 869141054468964 जिसमें एक जीयों कम्पनी की सिम नम्बर 8114469775 व दूसरी सिम नम्बर एयरटेल कम्पनी की जिसके नम्बर 7340132081 होना पाई गई। उक्त मोबाईल फोन कार्यवाही में वांछित होनें के कारण कब्जा ब्यूरों लिया गया। इसके अतिरिक्त आरोपी शिवदान के पास कोई वस्तु, राशि व दस्तावेज कब्जा ब्यूरों नही लिया गया।

आरोपी श्री शिवदान द्वारा परिवादी श्री विक्रम सिंह के खरीदशुदा प्लॉट नं. 16 खरबुजा बावड़ी, घोड़ाघाटी रावटी जोधपुर में प्लॉट पर पूर्व में श्री हरिराम बिश्नोई सहायक वनपाल द्वारा निर्माण कार्य को हटाना, इसके बाद आरोपी श्री हरिराम बिश्नोई सहायक वनपाल द्वारा आरोपी श्री शिवदान के मार्फत परिवादी श्री विक्रम सिंह सें दिनांक 09.09.2022 कों दौरानें मांग सत्यापन 50,000 रूपयें अपनें दलाल शिवदान को देनें के लिए कहना, आज दौरानें ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री शिवदान द्वारा परिवादी श्री विक्रम सिंह सें रॉयल्टी चौराहा बालसमन्द रोड जोधपुर पर परिवादी की निजी वाहन में 50,000 रूपयें रिश्वत राशि श्री हरिराम बिश्नोई सहायक वनपाल के लिए लेते हुए रंगे हाथों गिरप्तार करना व दलाल शिवदान द्वारा उक्त राशि श्री हरिराम बिश्नोई सहायक वनपाल के लिए लेना स्वीकार करना, प्रकरण में आरोपी श्री हरिराम बिश्नोई सहायक वनपाल के विरूद्व धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया जिसके सम्बन्ध में विस्तृत अनुसंधान शेष है।

प्रकरण में दलाल श्री शिवदान द्वारा श्री हरिराम बिश्नोई सहायक वनपाल के लिए रिश्वत के लिए मांग करना, श्री हरिराम बिश्नोई से दौरानें ट्रेप कार्यवाही वार्ता करनें का मना करना, दौरानें मांग सत्यापन वार्ता आरोपी श्री शिवदान द्वारा परिवादी की श्री हरिराम से अपनें मोबाईल से फौन का स्पीकर ऑन करवाकर वार्ता करवाना तथा ट्रेप कार्यवाही के दौरान रिश्वत राशि लेन देन के समय आरोपी श्री हरिराम बिश्नोई सहायक वनपाल के लिए 50000 रूपयें रिश्वत राशि प्राप्त करना व दौरानें पूछताछ भी आरोपी श्री शिवदान द्वारा आरोपी श्री हरिराम बिश्नोई सहायक वनपाल के लिए रिश्वत राशि प्राप्त करना स्वीकार करना ईत्यादि तथ्यों से प्रकरण में आरोपी श्री शिवदान का अपराध अन्तर्गत अपराध धारा 7 ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120 बी आईपीसी में प्रमाणित पाया गया है।

अब तक की कार्यवाही से श्री शिवदान पुत्र श्री केशुदान जाति चारण उम्र 27 साल निवासी रावटी रोड सूरसागर जिला जोधपुर का अपराध अन्तर्गत धारा 7 ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी आईपीसी का प्रथम दृष्टया कारित करना पाया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई एवं दौराने कार्यवाही अन्य कोई दस्तावेज, वस्तु कब्जा ब्यूरो नहीं ली गई। आरोपी श्री शिवदान पुत्र श्री केशुदान जाति चारण उम्र 27 साल निवासी रावटी रोड सूरसागर जिला जोधपुर .को गिरफ्तारी के कारणो से अवगत करवाया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जायेगी। फर्द बरामदगी रिश्वति राशि एवं हाथ धोवन की कार्यवाही की फर्द मूर्तिब की जाकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवा कर शामिल रनिंग नोट की गई।

वक्त 05.20 पी.एम. पर आरोपी दलाल श्री शिवदान व ट्रेप बाक्स श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63, श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501 को सुपुर्द कर मन् निरीक्षक पुलिस, दोनो गवाहान, परिवादी श्री विक्रम सिंह भाटी एवं मय परिवादी की निजी कार के पुलिस चौकी मण्डोर से रोयल्टी नाका बालसमन्द के लिए नक्शा मौका मूर्तिब करनें हेतु रवाना हुआ।

वक्त 05.50 पी.एम पर मन् निरीक्षक पुलिस परिवादी श्री विक्रम सिंह भाटी की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका रूबरू दोनो गवाहान के समक्ष मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा फर्द नक्शा मौका अपनें हस्तलिखित से मूर्तिब कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवा कर फर्द नक्शा मौका एवं निरीक्षण घटनास्थल शामिल रंनिग नोट किया गया। एवं श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 एवं श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501 से आरोपी दलाल श्री शिवदान व ट्रेप बॉक्स अपनें कब्जे में लिया गया।

वक्त 05.55 पी.एम. पर बाद पूछताछ के आरोपी श्री शिवदान पुत्र श्री केशुदान जाति चारण उम्र 27 साल निवासी रावटी रोड सूरसागर जिला जोधपुर को उसके द्वारा किये जुर्म अपराध अन्तर्गत धारा 7 ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी आईपीसी से अवगत करवाया जाकर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। जिसकी फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार की जाकर शामिल रंनिग नोट की गयी।

वक्त 06.15 पी.एम. पर परिवादी श्री विक्रम सिंह भाटी की आज अब ट्रेप कार्यवाही में कोई आवश्यकता नही होनें पर कल दिनांक 13.09.2022 को समय 09.00 ए.एम. पर कार्यालय एसीबी स्पेशल यूनिट जोधपुर में उपस्थित आनें की हिदायत देकर पुलिस चौकी मण्डोर जोधपुर से उनके निजी वाहन सहित रूखसत किया गया।

वक्त 06.20 पी.एम.पर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री मुरारीलाल व श्री राकेश कुमार मीणा मय ब्यूरो जाब्ता, श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63, श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501 श्री प्रकाश कानि. 265, मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री शिवदान मय कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप–प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री एवं आरोपी श्री शिवदान के दोनों हाथों के धोवन का शील्ड शुदा सैम्पल मार्क आर.एच. 1, आर.एच. 2, एल.एच. 1, एल.एच. 2, शील्ड शुदा रिश्वति राशि 50,000 रूपयें, आरोपी श्री शिवदान का वीवों कम्पनी का मोबाईल फोन मय दो सिम के मय सरकारी टवेरा मय चालक श्री प्रकाश कानि. 265 तथा श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46 मय अपनी निजी मोटर साईकिल मय कानि. श्री गणेश बेल्ट नम्बर 219 के साथ साथ पुलिस चौकी मण्डोर जोधपुर सें एसीबी स्पेशल यूनिट जोधपुर के लिए रवाना हुआ।

वक्त 06.40 पी.एम.पर फिकरा उपरोक्त का वक्त 06.20 पी.एम. पर पुलिस चौकी मण्डोर से रवाना होकर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान एसीबी स्पेशल यूनिट जोधपुर पहुचे तथा दोनों स्वतन्त्र गवाहान को कल दिनांक 13.09.2022 को समय 09.00 ए.एम. पर कार्यालय एसीबी स्पेशल यूनिट जोधपुर में उपस्थित आनें की हिदायत देकर कार्यालय से रूखसत किया गयां।

वक्त 06.45 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबुत जब्त शुदा आरोपी श्री शिवदान के दोनों हाथों के धोवन का शील्ड शुदा सैम्पल मार्क आर.एच. 1, आर.एच. 2, एल.एच. 1, एल.एच. 2, शील्ड शुदा रिश्वति राशि 50,000 रूपयें, आरोपी श्री शिवदान का वीवों कम्पनी का मोबाईल फोन मय दो सिम के आरोपी श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में ईन्द्राज करवा कर जमा मालखाना करवायें गये।

वक्त 06.48 पी.एम. पर आरोपी श्री शिवदान का मेडिकल चैकअप एवं कार्यालय में हवालात की व्यवस्था नही होनें के कारण श्रीमान मेडिकल ऑफिसर राजकीय सेटेलाईट चिकित्सालय पावटा जोधपुर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना उदयमन्दिर पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के नाम पृथक–पृथक तहरीर जारी कर श्री अयूब खा सहायक उप निरीक्षक पुलिस एवं श्री गणेश कानि. नम्बर 219, श्री देवाराम कानि. नम्बर 373, श्री अर्जुन सिह कानि. नम्बर 319 मय आरोपी श्री शिवदान के सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 8795 मय चालक श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 के रवाना किया गया।

वक्त 07.30 पी.एम. पर आरोपी श्री शिवदान का मेडिकल चैकअप एवं पुलिस थाना उदयमन्दिर की हवालात में दाखिल करवाकर पुलिस थाना उदयमन्दिर पर श्री अर्जुन सिह कानि. नम्बर 319 कों आरोपी की निगरानी ड्यूटी हेतु मामुर कर श्री अयूब खा सहायक उप निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के जरिये सरकारी टवेरा मय चालक के कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये।

दिनांक 13.09.2022 वक्त 08.55 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा दोनो स्वतंत्र गवाह श्री मुरारीलाल व श्री राकेश कुमार मीणा व परिवादी श्री विक्रम सिंह भाटी कार्यालय एसीबी स्पेशल यूनिट जोधपुर पर उपस्थित आयें है।

वक्त 9.05 ए.एम. पर परिवादी श्री विक्रम सिंह भाटी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री मुरारीलाल व श्री राकेश कुमार मीणा के समक्ष मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर जिसमें दिनांक 08.09.2022 कों मांग सत्यापन से पूर्व मोबाईल पर परिवादी श्री विक्रम सिंह द्वारा अपनें मोबाईल नम्बर 9929931158 से आरोपी श्री हरिराम बिश्नोई सहायक वनपाल वन विभाग जोधपुर के मोबाईल नम्बर 9413846820 पर करवाई गई वार्ता व दिनांक 09.09.2022 कों परिवादी श्री विक्रम सिंह भाटी व आरोपी दलाल श्री शिवदान के बीच रूबरू वार्ता एवं मांग सत्यापन रिकॉर्डिग के समय दलाल शिवदान के मोबाईल सें परिवादी श्री विक्रम सिंह भाटी व आरोपी श्री हरिराम बिश्नोई सहायक वनपाल वन विभाग जोधपुर के मध्य हुई मोबाईल वार्ता रिकॉर्ड है, उक्त वार्ताओं कों दोनो गवाहान श्री मुरारीलाल व श्री राकेश कुमार मीणा व परिवादी श्री विक्रम सिंह भाटी के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर में कॉपी करवाकर दोनों गवाहान व परिवादी श्री विक्रम सिंह भाटी के समक्ष सुन व समझकर शब्द, बशब्द फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता श्री रामचन्द्र सिह कानि. नम्बर 432 से फर्द मुर्तिब करवाई गई। आरोपीगण दलाल श्री शिवदान एवं श्री हरिराम बिश्नोई सहायक वनपाल वन विभाग जोधपुर एवं परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री विक्रम सिंह भाटी द्वारा एक आवाज अपनी व दूसरी आरोपीगण श्री हरिराम बिश्नोई सहायक वनपाल वन विभाग जोधपुर व दलाल श्री शिवदान की होना बताया। उक्त फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। उक्त वार्ता की चार सीडी तैयार की गई। जिसमें से एक सीडी को मूल मानते हुए कपड़े की थैली में डालकर कपड़े की थैली की सिलाई कर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये व वार्ता की तीन सीडी को डब सीडी मानते हुए खुली हालात में रखी गई। तीन डब सीडी में से एक सीडी अनुसंधान अधिकारी के अनुसंधान प्रयोजनार्थ तैयार की गई है। उक्त सीडीयों को श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 को सुपर्द कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर जमा मालखाना करवाई गई।

वक्त 11.30 ए.एम. पर आरोपी श्री हरीराम बिश्नोई सहायक वनपाल का सेवा विवरण चाहनें हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1623 दिनांक 13.09.2022 से श्रीमान उप वन संरक्षक वन विभाग जोधपुर के नाम तहरीर जारी कर सेवा विवरण लाने हेतु रवाना किया गया।

वक्त 11.35 ए.एम. पर परिवादी श्री विक्रम सिंह भाटी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री मुरारीलाल व श्री राकेश कुमार मीणा के समक्ष मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर जिसमें परिवादी श्री विक्रम सिंह भाटी एवं आरोपी दलाल श्री शिवदान के मध्य दिनांक 12.09.2022 को रिश्वत राशि लेन देन से पूर्व मोबाईल पर हुई वार्ता एवं रिश्वती राशि लेन देन के समय रूबरू हुई वार्ता रिकॉर्ड है, उक्त वार्ताओं कों दोनो गवाहान श्री मुरारीलाल व श्री राकेश कुमार मीणा व परिवादी श्री विक्रम सिंह भाटी के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर में कॉपी करवाकर दोनों गवाहान व परिवादी श्री विक्रम सिंह भाटी के समक्ष सुन व समझकर शब्द, बशब्द फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि लेन देन श्री रामचन्द्र सिह कानि. नम्बर 432 से फर्द मुर्तिब करवाई गई। आरोपी श्री शिवदान एवं परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री विक्रम सिंह भाटी द्वारा एक आवाज अपनी व दूसरी आरोपी श्री शिवदान की होना बताया। उक्त फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। उक्त वार्ता की चार सीडी तैयार की गई। जिसमें से एक सीडी को मूल मानते हुए कपड़े की थैली में डालकर कपड़े की थैली की सिलाई कर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये व वार्ता की तीन सीडी को डब सीडी मानते हुए खुली हालात में रखी गई। तीन डब सीडी में से एक सीडी अनुसंधान अधिकारी के अनुसंधान प्रयोजनार्थ तैयार की गई है। उक्त सीडीयों को श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 को सुपर्द कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर जमा मालखाना करवाई गई।

वक्त 1.30 ए.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में परिवादी श्री विक्रम सिंह भाटी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री मुरारीलाल व श्री राकेश कुमार मीणा की आवश्यकता नही होनें के कारण कार्यालय से रूखसत किया गया।

आरोपी श्री हरिराम बिश्नोई का सेवा विवरण प्राप्त किया गया तों श्री हरिराम बिश्नोई का पदनाम वनपाल होना पाया गया है।

अब तक की कार्यवाही से परिवादी श्री विक्रम सिंह के खरीदशुदा प्लॉट नं. 16 खरबुजा बावड़ी, घोड़ाघाटी रावटी जोधपुर में प्लॉट पर पूर्व में श्री हरिराम बिश्नोई वनपाल द्वारा निर्माण कार्य को हटाना, इसके बाद आरोपी श्री हरिराम बिश्नोई वनपाल द्वारा आरोपी श्री शिवदान के मार्फत परिवादी श्री विक्रम सिंह सें दिनांक 09.09.2022 कों दौरानें मांग सत्यापन 50,000 रूपयें अपनें दलाल शिवदान को देनें के लिए कहना, आज दौरानें ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री शिवदान द्वारा परिवादी श्री विक्रम सिंह सें रॉयल्टी चौराहा बालसमन्द रोड जोधपुर पर परिवादी की निजी वाहन में 50,000 रूपयें रिश्वत राशि श्री हरिराम बिश्नोई वनपाल के लिए लेते हुए रंगे हाथों गिरप्तार करना व दलाल शिवदान द्वारा उक्त राशि श्री हरिराम बिश्नोई वनपाल के लिए लेना स्वीकार करना, प्रकरण में आरोपी श्री हरिराम बिश्नोई वनपाल के विरूद्व धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया जिसके सम्बन्ध में विस्तृत अनुसंधान शेष है।

प्रकरण में दलाल श्री शिवदान द्वारा श्री हरिराम बिश्नोई वनपाल के लिए रिश्वत के लिए मांग करना, श्री हरिराम बिश्नोई से दौरानें ट्रेप कार्यवाही वार्ता करनें का मना करना, दौरानें मांग सत्यापन वार्ता आरोपी श्री शिवदान द्वारा परिवादी की श्री हरिराम से अपनें मोबाईल से फौन का स्पीकर ऑन करवाकर वार्ता करवाना तथा ट्रेप कार्यवाही के दौरान रिश्वत राशि लेन देन के समय आरोपी श्री हरिराम बिश्नोई वनपाल के लिए 50000 रूपयें रिश्वत राशि प्राप्त करना व दौरानें पूछताछ भी आरोपी श्री शिवदान द्वारा आरोपी श्री हरिराम बिश्नोई वनपाल के लिए रिश्वत राशि प्राप्त करना स्वीकार करना दिनांक 12.09.2022 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर परिवादी श्री विक्रम सिंह भाटी से आरोपी दलाल शिवदान द्वारा रिश्वत राशि 50,000 रूपयें परिवादी के निजी वाहन में आगे की सीट पर बैठ कर प्राप्त करना, व उक्त 50,000 रूपयें रिश्वत राशि श्री हरिराम के लिए प्राप्त करनें की सहमति देना, रिश्वति राशि 50,000 रूपयें आरोपी दलाल श्री शिवदान के दाहिने हाथ से बरामद होना, आरोपी दलाल श्री शिवदान के दोनों हाथों का धोवन गहरा गुलाबी प्राप्त होना, ईत्यादि तथ्यों से प्रकरण में आरोपी श्री शिवदान का अपराध अन्तर्गत अपराध धारा 7 ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120 बी आईपीसी में प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपीगण श्री हरिराम बिश्नोई वनपाल वनखण्ड रेन्ज मण्डोर व श्री शिवदान दलाल का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी आईपीसी का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी श्री हरीराम बिश्नोई पुत्र श्री राजूराम बिश्नोई जाति बिश्नोई उम्र 56 निवासी हिरणी ढाणीया पोस्ट खिरवा तहसील डेगाना जिला नागौर हाल वनपाल हाल वनखण्ड रेन्ज मण्डोर व आरोपी दलाल श्री शिवदान पुत्र श्री केशुदान जाति चारण उम्र 27 साल निवासी रावटी रोड सूरसागर जिला जोधपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी आईपीसी में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

(मनीष वैष्णव)
निरिक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
एस. यू.जोधपुर रेन्ज
जोधपुर (राज.)

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मनीष वैष्णव, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट जोधपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री हरिराम बिश्नोई पुत्र श्री राजूराम बिश्नोई, वनपाल, वनखण्ड रेंज मण्डोर, जिला जोधपुर एवं 2. श्री शिवदान पुत्र श्री केशुदान (दलाल) निवासी रावटी रोड़, सूरसागर, जिला जोधपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 361/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

13.9.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांकः- 3139-43 दिनांक 13.09.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
4. उप वन संरक्षक, जोधपुर।
5. अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू., जोधपुर।

13.9.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।